राज्य के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिये वेतनमान रू0 6500–10500 के लिये दिनांक 01–1–2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 ग्रेड वेतन रू0 4200/– के स्थान पर वेतन बैण्ड–2 में ग्रेड वेतन रू0 4600/– स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में वेतन समिति की संस्तुतियां :–

छठें वेतन आयोग की संस्तुतियों पर भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार वेतनमान रू0 5000–8000, रू0 5500–9000 तथा रू0 6500–10500 के लिये दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 (9300–34800) ग्रेड वेतन रू0 4200/–स्वीकृत किया गया। वेतन समिति द्वारा राज्य के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिये की गयी संस्तुतियों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा भी उक्त वेतनमानों रू0 5000–8000, रू0 5500–9000 तथा रू0 6500–10500 के लिये दिनांक 01–01–2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 (9300–34800) ग्रेड वेतन रू0 4200/–स्वीकृत किया गया है। अभी हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या–फा.सं.1/1/2008–आई.सी. दिनांक 13 नवम्बर, 2009 द्वारा वेतनमान रू0 6500–10500 के लिये वेतन बैण्ड–2 (9300–34800) ग्रेड वेतन रू0 4600/– स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। उक्त के साथ यह भी निर्णय लिया गया कि यदि किसी संवर्ग में पूर्व से ही वेतनमान रू0 7450–11500 में पद विद्यमान हैं, तो वेतनमान रू0 6500–10500 के पदों को वेतनमान रू0 7450–11500 के पदों के साथ संविलीन कर दिया जाय। तद्नुसार राज्य सरकार द्वारा भी राज्य के विभिन्न वर्गों के उक्त वेतनमान के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये वेतनमान रू0 6500–10500 के लिये दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2 में ग्रेड वेतन रू0 4600/– स्वीकृत करने के विषय पर संस्तुति देने हेतु वेतन समिति को विशिष्ट प्रकरण के रूप में वित्त विभाग के अर्धशासकीय पत्र संख्या–वे0आ0–2–1771/दस–2009 दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 द्वारा संदर्भित किया गया।

2– वेतन समिति द्वारा उक्त संदर्भित प्रकरण पर सम्यक रूप से विचार किया गया और यह पाया गया कि छठें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में जो वेतनमान सामान्य रूप से स्वीकृत किये गये हैं, वेतन समिति की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा भी वही वेतनमान राज्य के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिये स्वीकृत किये गये हैं। केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व वेतनमान रू0 6500–10500 के लिये छठें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2 (9300–34800) ग्रेड वेतन रू0 4200/– स्वीकृत किया गया था। केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय दिनांक 13 नवम्बर, 2009 द्वारा पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान रू0 6500–10500 के लिये वेतन बैण्ड–2 (9300–34800), ग्रेड वेतन रू0 4600/– स्वीकृत किया गया है। चूंकि केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व वेतनमान रू0 6500–10500 के लिये वेतन बैण्ड–2 ग्रेड वेतन रू0 4600/– दिनांक 01 जनवरी, 2006 से ही लागू किया गया है। ऐसी स्थिति में राज्य के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों

के लिये पूर्व वेतनमान रू0 6500–10500 के लिये दिनांक 01 जनवरी, 2006 से ही वेतन बैण्ड–2 (9300–34800), ग्रेड वेतन रू0 4600/– स्वीकृत किये जाने का पूर्ण औचित्य है। जहॉ तक किसी संवर्ग विशेष में विद्यमान वेतनमान रू0 6500–10500 के पदों को वेतनमान रू0 7450–11500 में संविलीन किये जाने के बिन्दु पर संस्तुति देने का विषय है, इस सम्बन्ध में समिति द्वारा संस्तुतियॉ पदवार/संवर्गवार संस्तुति देते समय संवर्ग विशेष के मामले में विचार कर संस्तुतियॉ दिया जाना औचित्यपूर्ण होगा।

समिति की संस्तुतियां

3– सम्यक विचारोपरान्त समिति की संस्तुतियॉ निम्नवत् हैः–

(1)राज्य के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों को पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान रू0 6500–10500 के लिये दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 (9300–34800), ग्रेड वेतन रू0 4200/– के स्थान पर वेतन बैण्ड–2 (9300–34800) में ग्रेड वेतन रू0 4600/– दिनांक 01 जनवरी, 2006 से ही स्वीकृत किया जाये।

(2) किसी संवर्ग विशेष में पूर्व वेतनमान रू0 6500–10500 तथा वेतनमान रू0 7450–11500 के पदों को संविलीन किये जाने के सम्बन्ध में समिति द्वारा पदवार/संवर्गवार वेतनमानों के सम्बन्ध में विचार करते समय संज्ञान में लिया जायेगा।

(अजय अग्रवाल)
सदस्य सचिव

(बी0एन0दीक्षित)
सदस्य

(आलोक रंजन)
सदस्य

(एस0ए0टी0रिज़वी)
अध्यक्ष वेतन समिति